न्यायालय सहायक कलक्टर अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 109/2022 उनवान हनुमान बनाम घोटा

हनुमान दत्तक पुत्र हगामा, जाति जाट, उम्र बालिग निवासी ग्राम दादिया, तहसील अंराई जिला अजमेर राज.। —वादी

बनाम

घोटा पत्नि हगामा, जाति जाट, निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। — प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 31.05.2024

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 28.09.2022 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 109/2022 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम लाम्बा एवं दादिया में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के अनुसार चुनरीबट के आधार पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि अविभाजित है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 एवं अन्य अप्रार्थीगण कतिपय कारणों से उक्त अविभाजित भूमि का बेचान कर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, जो कि विधिविरूद्ध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वाद गुणावगुण के निस्तारण तक की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वादअधीन भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधिक विभाजन होने तक अप्रार्थीगण ग्राम लाम्बा एवं दादिया में स्थित उपर्युक्त वादअधीन भूमि का बिना विभाजन करवाये किसी विशिष्ट भाग को किसी भी रूप में अन्तरित नहीं करें, भारग्रस्त नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की [illegible] रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:05:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में दिनांक 28.09.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। दिनांक 24.02.2023 को अप्रार्थीगण की तरफ से [illegible] पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 14 तथा 16 से 31 के तामिलशुदा एवं अप्रार्थी संख्या 15 फौत रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 08.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री रामनिवास बैरवा तथा दिनांक 22.12.2023 को भवानी सिंह

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 22.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 02 से 14 एंव 16 से 31 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीया संख्या 01 के जेठ पुत्र है , अप्रार्थीया को उक्त वादअधीन भूमि विरासतन प्राप्त हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेअनुसार अप्रार्थीया अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करती आ रही है, अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का अप्रार्थीया को विधिमान्य अधिकार रहता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे सहित खारिज योग्य है।

दिनांक 03.05.2024 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी से ताईद है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के संयुक्त खातेदार हैं। बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण हम धारा 212 राज. का. अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं जिनका विवेचन इस प्रकार हैः—

1.प्रथम दृष्टया प्रकरण—अप्रार्थिया संख्या 01 वृद्ध विधवा महिला है, पति की मृत्यु होने पर विवादित आराजीयात की संयुक्त खातेदार बनी है, अप्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार उपयोग उपभोग का अधिकार है, यह बिन्दु अप्रार्थिया के पक्ष में सिद्ध होता है।

2.सुविधा का संतुलन— विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त, रहन, बेचान या अन्यथा अंतरण का अधिकार है, अप्रार्थीया संख्या 01 वृद्ध विधवा महिला है यदि इसे इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे असुविधा होगी यह बिन्दु अप्रार्थिया के पक्ष में सिद्ध होता है।

3. अपूरणिय क्षति— प्रार्थी व अप्रार्थिया संख्या 01 हगामा के उत्तराधिकारी होने से वादअधीन भूमि के खातेदार कायम हुये हैं, यह निर्विवादित तथ्य है। किसी रिकार्डेड खातेदार को उसकी हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। यह बिन्दु अप्रार्थिया के पक्ष में सिद्ध होता है।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)
अराई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:05:42 IST
Reason: SelfAttested